प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 25.03.2021

चेकिंग के दौरान चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 01 अदद अवैध तमंचा, कारतूस व नगदी बरामद–

जनपद के थाना बाघराय से उ0नि0 अभिमान सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के नेवादा मोड़ के पास से मु0अ0सं0 66/21 धारा 457, 380, 411 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त मनोज कुमार यादव पुत्र राम अधार यादव नि0 झझवारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 1,000/– रू0 के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 77/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

15 अदद देशी बम के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद के थाना लालगंज से उ0नि0 जयकिशुन यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के जसमेढ़ा पुलिया के पास से 02 व्यक्तियों 01. कल्लू पुत्र नन्हकू नि0 गुमदापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ 02. राजेश पुत्र प्रताप नि0 राय का पुरवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को क्रमशः 07 अदद व 08 अदद देसी बम के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में दोनो अभियुक्तों के विरूद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 156/21 व मु0अ0सं0 157/21 धारा 4/5 विष्फोटक अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार–

- जनपद के थाना संग्रामगढ़ से उ0नि0 सुरेश कुमार यादव व म0 आरक्षी अमृता तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के नेवादा खुर्द से 01 अभियुक्ता रेखा गौतम पत्नी स्व0 मेवालाल नि0 अतरवारी, नेवादा खुर्द थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया व उ0नि0 अनुज कुमार यादव मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र के मीरापुर से एक व्यक्ति राजेश कुमार सरोज पुत्र मेवालाल सरोज नि0 मीरापुर थाना संग्रामगढ़ को 05 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 57/21 व मु0अ0सं0 58/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद के थाना कोतवाली नगर से उ0नि0 इन्द्रेश कुमार मय हमराह के द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के भगवा से एक व्यक्ति समीर सिद्दीकी पुत्र नन्हे उर्फ शकील सिद्दीकी नि0 काशीराम कालोनी भगवा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 269/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

दिनांक– 25.03.2021